F-

F-A6-6/2014/1/5

I/1265121/2026

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004
:: विज्ञापन ::

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, इन्दौर में लेखा सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन

कमांक एफ 6–6/2014/1/पॉच

भोपाल, दिनांक 25/08/2026

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में एक स्थायी लेखा सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक 25.05.2026 से 16.06.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25.08.2026 से दिनांक 10.09.2026 तक आवेदन प्राप्त करने की तिथि को विस्तारित किया जाता है तथा पूर्व से प्राप्त लेखा सदस्य पद हेतु किये गये आवेदन मान्य रहेंगे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी :–

निर्धारित अर्हता :–

लेखा सदस्य के पद पर म.प्र. वेट अधिनियम 2002 की धारा 4 की उपधारा(8)के प्रावधान अनुसार ऐसा व्यक्ति होगा, जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का न्यूनतम तीस वर्ष तक सदस्य रह चुका हो, या
(क)संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या
(ख)कम से कम तीन वर्षों तक उपायुक्त का पद धारण कर चुका हो। मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा के अलावा अन्य कोई आवेदक लेखा सदस्य के पद हेतु आवेदन करता है तो उसके लिए अर्हता निम्नानुसार हैं:–

i) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम 5 प्रकरण टैक्स जर्नल में प्रकाशित हुए हो।
ii) जिनके द्वारा विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से विगत 03 वर्षो का आयकर जमा किया गया हो एवं प्रत्येक वर्ष हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट पेशे से करयोग्य आय न्यूनतम 15 लाख रूपये हो और जिसे संदर्भित वर्ष की आयकर विवरणी(Income Tax Return)में दर्शाया गया हो।
iii) आवेदन में विगत 5 वर्षों में प्रचलित जॉच/आपराधिक प्रकरण की अद्यतन जानकारी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

वेतन भत्तें एवं अन्य शर्तें :–

1. लेखा सदस्य की नियुक्ति म.प्र. वेट अधिनियम 2002 की धारा 4(5) के अंतर्गत कार्यकाल 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु सीमा (जो पहले हो) होने तक होगी।
2. कोई सदस्य जो पद पर नही रह जाता, म.प्र. वेट अधिनियम 2002 के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या पक्ष समर्थन के लिये पात्र नहीं होगा।
3. सदस्य, जो मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा अथवा म.प्र.राज्य कराधान सेवा का सदस्य नहीं था/है, म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल–17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय प्रवेश स्तर नियत मासिक वेतन वेतन तथा भत्ते आहरित करेगा। किन्तु मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसे म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल–17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय मासिक वेतन एवं भत्ते में से दी जा रही मासिक पेंशन कम कर दी जाएगी।
4. मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का कोई सेवारत सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अधीन लेवल–17 की श्रेणी के किसी अधिकारी को देय मासिक वेतन,वेतनवृद्वियां तथा भत्ते आहरित करेगा, वह सदस्य का प्रभार ग्रहण करने की तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया समझा जाएगा, किन्तु सदस्य के रूप में उसकी पश्चातवर्ती सेवा की गणना, म.प्र. राज्य कराधान सेवा में अधिवार्षिकी की तारीख तक या उसके बोर्ड के सदस्य का पद ग्रहण करने तक जो भी पूर्वतर हो, उसे लागू नियमों के अधीन पेंशन तथा सेवानिवृत्ति अभिलाभों के लिए म.प्र.राज्य कराधान सेवा में उसकी सेवा के रूप में सम्मिलित की जाएगी।
5. मासिक वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त राज्य सेवा से नियुक्त सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें, उस सेवा के सदस्यों को लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

1. आवेदन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आवेदन के साथ गत 3 वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–2025 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करनी होगी,

आवेदन की अंतिम तिथि:–

सम्पूर्ण विवरण के साथ ऑनलाईन आवेदन मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट **www.commercialtax.mp.gov.in** एवं म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड की वेबसाईट **https://mpctab.mp.gov.in** पर दी गई आवेदन लिंक– **https://geoportal.mp.gov.in/hr_Commercial_tax** पर विज्ञापन जारी होने की तिथि से दिनांक 10.09.2026 तक रात्रि 12.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात वेबसाईट बंद हो जायेगी। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायगें।

Digitally signed by
Rajesh Ogrey
Date: 25-08-2026
12:33:02

अपर सचिव
म.प्र.शासन,वाणिज्यिक कर विभाग